उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1
संख्या- 17/2025/1147996/ 27-12001(099)/20/2025
लखनऊः दिनांकः 19 नवम्बर, 2025

कार्यालय-आदेश

एतदद्वारा तात्कालिक प्रभाव से जनहित/कार्यहित में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सिविल संवर्ग के श्री श्याम जी चौबे, अधीक्षण अभियन्ता, नवम मण्डल सिंचाई कार्य, बहराइच को सिंचाई विभाग के अपने मूल तैनाती स्थल/जिले पर तैनात रहकर उनके क्षेत्रान्तर्गत आने वाले ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना के जिलों हेतु संयुक्त निदेशक, ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना का द्वैत कार्यभार प्रदान किया जाता है।

2- द्वैत कार्यभार हेतु पृथक से कोई वेतन भत्ता आदि देय नहीं होगा।

सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री जी, जल शक्ति विभाग, उ0प्र0।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन)/प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा मुख्य अभियन्ता कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा मुख्य अभियन्ता कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-5/6/12
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in